



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या- 9380 वर्ष 2017

प्रहलाद शरण एवं अन्य

..... प्रार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... विपक्षीगण

अधिवक्ता : मनु खरे

विपक्षीगण के अधिवक्ता : फखरुज्जमान, शासकीय अधिवक्ता, तरुण कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या-7

दिनांक 03.04.2026 को अरक्षित

दिनांक 01.06.2026 को प्रदत्त

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी को सुना।
2. यह प्रार्थना पत्र सत्र विचारण संख्या 267 वर्ष 2011 (राज्य बनाम प्रहलाद शरण एवं अन्य) धारा 306 भारतीय दंड संहिता और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम में दिनांकित 20.03.2017 के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. यह प्रार्थना पत्र मृतक के पति और देवर द्वारा दाखिल किया गया है। प्रार्थी संख्या 1 की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र का निपटारा दिनांकित 29.03.2017 के आदेश द्वारा किया जा चुका है।
4. प्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांकित 20.03.2017 के आदेश द्वारा प्रार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत तलब किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि घटना के समय प्रार्थी संख्या 2 नाबालिग था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मृतक मंजू लता का विवाह प्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद शरण से 11.05.2003 को हुआ था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी के अनुसार, विवाह के एक वर्ष बाद ससुराल वालों ने दहेज की अतिरिक्त मांग के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि घटना के समय प्रार्थी संख्या 2 की आयु केवल 14 वर्ष थी।
5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश सही और विधिक है; प्रार्थी के पास इस अभिवचन के संबंध में अन्य वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं और प्रार्थी द्वारा रद्द करने के लिए बताए गए आधार इस स्तर पर पर्याप्त नहीं हैं।



6. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने से पहले, किशोर न्याय(देखभाल एवं संरक्षण)अधिनियम, 2000 की धारा 2 (के)(एल)और धारा 7 एवं 7ए का अवलोकन करना प्रासंगिक होगा:-

“2- डी परिभाषाएँ

(के) किशोर या बच्चा से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो;

(एल) कानून के साथ संघर्षरत किशोर से तात्पर्य ऐसे किशोर से है जिस पर अपराध करने का आरोप है और जिसने ऐसे अपराध के घटित होने की तिथि पर अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;”

“7. अधिनियम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त न करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) जब कोई मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, यह राय रखता है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत उसके समक्ष लाया गया कोई व्यक्ति (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) किशोर या बच्चा है, तो वह बिना किसी देरी के ऐसी राय अभिलिखित करेगा और किशोर या बच्चे और कार्यवाही का अभिलेख कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(2) जिस सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही भेजी जाती है, वह जाँच इस प्रकार करेगा मानो किशोर या बच्चे को मूलतः उसके समक्ष लाया गया हो।

7ए- [किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा उठाए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [अधिनियम 33वर्ष 2006, धारा 8 द्वारा सम्मिलित (दिनांक 22.8.2006 से प्रभावी।]

(1) जब भी किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा उठाया जाता है या न्यायालय की राय है कि अपराध किए जाने की तिथि पर कोई अभियुक्त व्यक्ति किशोर था, तो न्यायालय जांच करेगा, ऐसे साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हों (परन्तु शपथपत्र नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, उसकी आयु यथासंभव निकट बताते हुए: बशर्ते कि किशोर होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे किसी भी स्तर पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, मान्यता दी जाएगी और ऐसे दावे का निर्धारण इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए

नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को या उससे पहले किशोर न रह गया हो।

(2) यदि न्यायालय उपधारा (1) के अंतर्गत अपराध किए जाने की तिथि पर किसी व्यक्ति को किशोर पाता है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को भेजेगा, और न्यायालय द्वारा पारित कोई भी सजा अप्रभावी मानी जाएगी।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का उल्लेख करना प्रासंगिक है:-

319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति:-

(1) जहाँ किसी अपराध की जाँच या विचारण के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने, जो कि अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ विचारण चलाया जा सकता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त प्रयोजन के लिए गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3) न्यायालय में उपस्थित कोई भी व्यक्ति, यद्यपि वह गिरफ्तार नहीं है या समन पर नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या विचारण के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है, जिसे उसने किया प्रतीत होता है।

(4) जहाँ न्यायालय उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करता है तब-

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों को फिर से सुना जाएगा;

(ख) खंड (क) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मामले की कार्यवाही इस प्रकार की जा सकती है मानो न्यायालय द्वारा उस अपराध का संज्ञान लेने के समय वह व्यक्ति आरोपी था जिस पर जांच या विचारण शुरू किया गया था।

9. हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2014) 3 एससीसी 92, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 न्यायालयों को विचारण के दौरान अतिरिक्त व्यक्तियों को आरोपी के रूप में तलब करने का अधिकार प्रदान करती है। पैराग्राफ संख्या 90 और 117 निम्नानुसार उद्धृत हैं:-

"90. मोहम्मद शफी [मोहम्मद शफी बनाम मोहम्मद रफीक, (2007) 14 एससीसी 544 : (2009) 1 एससीसी (क्रिमिनल) 889: एआईआर 2007 एससी 1899] और हरभजन सिंह [(2009) 13 एससीसी 608 : (2010) 1 एससीसी (क्रिमिनल) 1135] के मामलों में जैसा अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का

4

प्रयोग करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि कोई अन्य व्यक्ति भी, जो विचारण का सामना नहीं कर रहा है, अपराध में शामिल हो सकता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त उस प्रथम दृष्ट्या दृष्टिकोण के समान है जिस पर मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए पहुंचना आवश्यक है। इसलिए, इस तरह की राय पर पहुंचने के लिए पूर्व शर्तों के संबंध में कोई कठोर सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए, और यदि मजिस्ट्रेट/न्यायालय मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भी संतुष्ट है, तो वह धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा में "ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्दों का प्रयोग किया गया है, न कि "मुकदमा चलाया जाना चाहिए"। इसलिए, इस स्तर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर परीक्षा और जिरह करके और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के प्रत्यक्ष कृत्य पर निर्णय देकर लघु-परीक्षण करना आवश्यक नहीं है, जिसे आरोपी के रूप में आरोपित किया जाना है। वास्तव में, यह लघु-परीक्षण ही है जो आरोपी के रूप में आरोपित किए जाने वाले व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करेगा, न कि जिरह न करना, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की उपधारा (4) के प्रकाश में, व्यक्ति को नए सिरे से सुनवाई का अधिकार होगा, जिसमें उसे अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने और बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने तथा उनके आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत करने सहित सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इसलिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर भी, न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, बशर्ते न्यायालय संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य ऐसे हैं कि प्रथम दृष्टया उस व्यक्ति को विचारण का सामना करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। वास्तव में, जिरह के बिना की गई मुख्य परीक्षा, निःसंदेह अपने आप में एक साक्ष्य है।

117.अतः हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

प्रश्न (i) और (iii)

—दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किस अवस्था में किया जा सकता है?

और

—क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और इसमें अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य शामिल हैं या "साक्ष्य" शब्द केवल विचारण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य तक ही सीमित है?

5

उत्तर

प्रश्न (v)—क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति उन व्यक्तियों तक विस्तारित है जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है या प्राथमिकी में नाम है लेकिन उन पर आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया है या जिन्हें उन्मोचित कर दिया गया है?

उत्तर

117.6- प्राथमिकी में नामजद न होने वाले व्यक्ति, या प्राथमिकी में नामजद होने के बावजूद आरोपपत्र दाखिल न किए गए व्यक्ति, या उन्मोचित हो चुके व्यक्ति को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत तलब किया जा सकता है, बशर्ते साक्ष्यों से यह प्रतीत हो कि ऐसे व्यक्ति पर पहले से विचाराधीन अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, उन्मोचित हो चुके अभियुक्त के मामले में, उसे दोबारा तलब करने से पहले धारा 300 और 398 दंड प्रक्रिया संहिता की आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

10. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद, विचारण की सुनवाई के दौरान उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, दिनांकित 20.03.2017 के आदेश द्वारा प्रार्थी संख्या 2 को धारा 306 भारतीय दंड संहिता और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत समन किया गया। यह भी स्पष्ट है कि समन करते समय संबंधित मजिस्ट्रेट को इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रार्थी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 2 नाबालिग है या नहीं; क्योंकि प्रार्थी संख्या 2 ने घटना के समय अपनी आयु के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था।

11. किशोर न्याय(देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7 और 7ए में यह प्रावधान है कि जब मजिस्ट्रेट/ न्यायालय के समक्ष लाया गया कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट की राय में किशोर हो, तो न्यायालय आरोपी की आयु निर्धारित करने के लिए जांच करेगी और ऐसा दावा कार्यवाही के किसी भी चरण में, यहां तक कि मामले के निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है। अतः, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून के अनुसार, बोर्ड के अलावा अन्य न्यायालयों के समक्ष दावा उठाया जा सकता है और उक्त न्यायालय किशोर न्याय अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदक की आयु निर्धारित करने के लिए जांच करेगी।

12. इस स्थिति में, आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और वैध है तथा उसमें कोई खामी या अवैधता नहीं है। तदनुसार, यह प्रार्थना पत्र इस स्वतन्त्रता के साथ खारिज किया जाता है कि प्रार्थी संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह अपनी सभी शिकायतें उठाएगा/नाबालिग होने का दावा करेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)
1 जून, 2026
एस० के०

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"